न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अरूण कुमार पुरोहित, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 18 / 2023

अपीलांट–
गोपालसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सफेद आकड़ा बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1 जोरूकंवर पत्नि तनसिंह जाति राजपुत निवासी पीथलपुरा तहसील व जिला बाड़मेर
2 राजेश विश्नोई पुत्र श्री केशाराम विश्नोई निवासी महावीर नगर बाड़मेर
3 भजनलाल पुत्र लाधुराम जाति विश्नोई निवासी महावीर नगर बाड़मेर
4 सुनिल के मेराजा पुत्र कानाराम जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी नगर बाड़मेर
5 तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 4399 दिनांक 04.11.2022 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री मनोज पारीक, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री केसराराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 26.07.2023

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 4399 दिनांक 04.11.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सांसियों का तला, पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नंबर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2049/644 रकबा 9.4130 हेक्टयर, 2050/644 रकबा 1.2610 हेक्टयर के खातेदार जोरूकंवर पत्नि तनसिंह कौम राजपूत निवासी पीथलपुरा व गोपालसिंह पुत्र कानसिंह कौम राजपुरोहित निवासी बाड़मेर गादान ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.11.2022 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 4399 दिनांक 04.11.2022 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.06.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत अपील के विचारण के दौरान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपील के तथ्यों की ताईद की गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 4399 दिनांक 04.11.2022 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलाधीन आदेश पक्षकारान के मौके पर कब्जा एवं रकबा अनुसार नहीं है तथा यह नक्शा दोनों पक्षों के विवाद का कारण बन गया है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा उक्त बंटवारा करवाने से पूर्व मूल खसरा संख्या 644 के मध्य रास्ता हेतु भूमि समर्पित की गई थी तथा उक्त समर्पित भूमि की तरमीम कब्जा काश्त अनुसार सही नहीं की गई। मौके पर चल रहे रास्ते अनुसार तरमीम नहीं कर गलत तरमीम कर दी गई थी जिसके कारण रास्ते से दूसरी तरफ खसरा नम्बर 2050/644 की भूमि रकबा 1.2610 से अधिक रख दी गई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवारा अनुरूप नहीं किया गया तथा रास्ते के एक तरफ वास्तविक रकबे से अधिक भूमि की तरमीम हो गई है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा रास्ते के बारे में पैमाईश व सीमाज्ञान करवाने पर उक्त के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हुई तब दिनांक 09.06.2023 को आवश्यक नकलें और मौके की बंटवाडे की नकल प्राप्त करने पर ही बंटवाडे के गलत होने की ज़ानकारी हुई। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 की ओर से इकबाली ज़वाब प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील के तथ्यों की ताईद की गई तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के हिस्सों का विभाजन मौका पर कब्जा–काश्त अनुसार पुनः किये ज़ाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा सांसियों का तला, पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नंबर 2049/644 रकबा 9.4130 हेक्टयर, 2050/644 रकबा 1.2610 हेक्टयर के खातेदार जोरूकंवर पत्नि तनसिंह कौम राजपूत निवासी पीथलपुरा व गोपालसिंह पुत्र कानसिंह कौम राजपुरोहित निवासी बाड़मेर गादान ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.11.2022 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 4399 दिनांक 04.11.2022 पारित किया गया। अपीलांट की अपील एवं रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब अनुसार इस विभाजन इकरारनामा में भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नहीं करवाई गई। इस प्रकार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। पक्षकारान ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब व अपील का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त एवं हिस्सा रकबा अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 4399 दिनांक 04.11.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर